Phone No. :- 05644-228114

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

रा.प्र.नि.मं. / क्षे.का.(भरतपुर) / धौलपुर–247 / 2522 दिनांक 30/12/2023

मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
डी–81, गोविन्द पुरी
सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय : दिनाँक 02.02.2024 को आयोजित की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत्।

सन्दर्भ : जिला कलेक्टर, धौलपुर के पत्र क्रमांक प.15 / 1(1) / राजस्व / 2022 / 2134 दिनांक 29.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किये जाने वाला 06 लेन (ग्रीनफील्ड) एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का विकास ग्राम देवरी जिला आगरा, उत्तरप्रदेश से शुरू होता है (डिजाइन 00.00 किमी) और सुसेरा गॉव जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के पास समाप्त होती है (डिजाइन 88.400 किमी.)। सम्पूर्ण प्रस्तावित परियोजना तीन राज्यों क्रमशः उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों में स्थित है (कुल डिजाइन लम्बाई 88.400 किमी.), जिसका राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले की तहसील राजाखेडा के अन्तर्गत आने वाले कुल 23 गॉवों से होकर गुजरना प्रस्तावित है जिसकी कुल लम्बाई 26.745 किलोमीटर है, के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु **जन सुनवाई दिनांक 02.02.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे, कार्यालय उप तहसील मरैना, तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर** में आयोजित की जानी है।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनाँक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप में जन सुनवाई हेतु **"आम सूचना"** एक मुख्य दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में दिनाँक 01.01.2024 से पूर्व प्रकाशित कराया जाना जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वावधान / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

-sd-
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., भरतपुर

प्रतिलिपि :– पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट ड्राफ्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार (Hindi & English) सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1 जिला कलेक्टर, धौलपुर।
2 ग्रुप प्रभारी, (बिल्डिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
4 उप खण्ड अधिकारी, राजाखेडा जिला धौलपुर।
5 पंचायत समिति, राजाखेडा, जिला धौलपुर।
6 तहसीलदार, उप तहसील मरैना जिला धौलपुर।
7 ए.सी.पी., राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि इसे वेब साईट पर दर्शाने का श्रम करवायें।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखजी नगर, भरतपुर (राज)

रा.प्र.नि.मं. / क्षे.का.(भरतपुर) / धौलपुर–247 / 2515 दिनांक :– 30.12.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधान के अनुसार मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किये जाने वाला 06 लेन (ग्रीनफील्ड) एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का विकास ग्राम देवरी जिला आगरा, उत्तरप्रदेश से शुरू होता है (डिजाइन 00.00 किमी) और सुसेरा गॉव जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के पास समाप्त होती है (डिजाइन 88.400 किमी.)। सम्पूर्ण प्रस्तावित परियोजना तीन राज्यों क्रमशः उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों में स्थित है (कुल डिजाइन लम्बाई 88.400 किमी.), जिसका राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले की तहसील राजाखेडा के अन्तर्गत आने वालें कुल 23 गॉवों से होकर गुजरना प्रस्तावित है जिसकी कुल लम्बाई 26.745 किलोमीटर है, के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

उपर्युक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूसना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई हेतु **दिनांक 02.02.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे, कार्यालय उप तहसील मरैना, तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर** में उपस्थित होकर सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर (e-mail – rorpcb.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूॅगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए.रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलक्टर, धौलपुर
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूॅगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, राजाखेडा जिला धौलपुर।
6. कार्यालय पंचायत समिति, राजाखेडा जिला धौलपुर।
7. कार्यालय तहसीलदार, उप तहसील मरैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार, द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वावधान / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर